

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 25.7.19

क्रमांक रीडर/2019/
प्रार्थीगण

1768

बनाम

अप्रार्थीगण

1 इमाम 2 लतीफ पिसरान सेहता जाति
मुसलमान निवासी सुथारों की ढाणी,
भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान
राजस्व आवेदन संख्या :- 140/2019


1 दौलतनाथ चेला भुपतनाथ वगैराह जाति
स्वामी निवासी भाड़खा मठ तहसील व जिला
बाड़मेर।
मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
दिनांक- 19.07.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 324 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 383/325 रकबा 257.17
बीघा व खसरा संख्या 384/325 रकबा 140.17 बीघा कुल रकबा 399.05 बीघा भूमि के
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के

जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन
व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के

अनुसार) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 25.7.19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1768- 1772

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ईमाम पुत्र सेहता वगैराह जाति मुसलमान निवासी सुथारों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दौलतनाथ चेला भुपतनाथ वगैराह जाति स्वामी निवासी भाड़खा मठ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर